न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :— 02/2020

उनवान

1. बजरंग उर्फ मदनलाल बेनीवाल पुत्र साधूराम जाति रैगर निवासी मनोहरपुर तहसील तह. शाहुपरा जिला जयपुर — प्राथीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती रिकार्ड

आदेश दिनांक 29.7.2020

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि हॉल आराजी खसरा नम्बर 4762 रकबा 0.50 है0, वाके ग्राम मिश्रवास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित है । प्रार्थी को उसके घरवाले तथा अन्य जान पहचान के व्यक्ति बजरंग व मदनलाल बेनीवाल दोनो नामो से ही जानते पुकारते एवं पहचानते है, प्रार्थी के सरकारी कागजात पहचानपत्र, राशनकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम मदनलाल पुत्र साधुराम दर्ज है किन्तु उक्त आराजी ख0नं0 4762 की राजस्व जमाबन्दी मे बजरंग पुत्र साधूराम सहवन से अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी बजरंग व मदनलाल दोनो नामो से ही जाना जाता है। ग्राम मनोहरपुर अम्बेडकरनगर मे बजरंग पुत्र साधूराम व मदनलाल पुत्र साधुराम नाम का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसकी ताईद मे ग्राम पंचायत मनोहरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 13.1.20 पेश किया है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बजरंग पुत्र साधुराम ही अंकित होने से एवं अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मदनलाल बेनीवाल पुत्र साधूराम दर्ज होने से प्रार्थी उक्त आराजी पर सरकारी परियोजना से मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाता है तथा उक्त आराजी का किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बन पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी असुविधा एवं कठिनाई हो रही है इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी में प्रार्थी के नाम बजरंग के स्थान पर मदनलाल बेनीवाल की दुरूस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की तरफ से पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु न्यायालय से निर्देशित किये जाने पर पटवार हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट 28.7.20 पेश की जिसमें जाहिर किया कि बजरंग पुत्र साधूराम जाति रैगर सा0 देह के नाम दर्ज होना जाहिर करते हुए बताया कि अम्बेडकर नगर मनोहरपुर में लोगो से पूछताछ करने व मदनलाल पुत्र साधुराम तथा बजरंग पुत्र साधूराम दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कराते हुए ध्यान आकर्षित करवाया कि बजरंग व मदनलाल नाम के एक ही व्यक्ति है तथा मदनलाल को परिवार व जान पहचान वाले बजरंग नाम से ही पुकारते है इसी कारण से राजस्व रिकार्ड में बजरंग पुत्र साधूराम दर्ज हो गया लेकिन अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मदनलाल होने से सरकारी योजनाओं का लाभप्रार्थी को नहीं मिल रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बजरंग के स्थान पर मदनलाल किया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बजरंग दर्ज होना साबित होता है लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ,ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि का अवलोकन पर पाया गया कि उक्त

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

दस्तावेज में प्रार्थी का नाम मदनलाल दर्ज है पटवारी हल्का उदावाला की जांच रिपोर्ट व ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को बजरंग के नाम से भी जाना जाता है तथा मदनलाल व बजरंग नाम के अम्बेडकरनगर मनोहरपुर में इस नाम का एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी को जान पहचान वाले लोग बजरंग के नाम से जानने व पहचानने से राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी को मदनलाल के स्थान पर बजरंग नाम से अंकित किया जाना प्रतीत होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी ख0नं0 4762 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम मिश्रवास पटवार हल्का उदावाला तहसील शाहपुरा के राजस्व रिकार्ड में बजरंग पुत्र साधूराम जाति रैगर के स्थान पर मदनलाल पुत्र साधूराम जाति रैगर निवासी अम्बेडकर नगर मनोहरपुर का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 29.7.2020 को सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर